अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–
विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन) का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक–प्र०–7 / विविध–04–38 / 2023– **/ पटना, दिनांक.....**

प्रेषक,

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० उपभाग सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।
मुख्य महाप्रबंधक,
बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना।
सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार।
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० प्रमंडल सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार।

विषय :– **अन्य विभागों / निगमों द्वारा कालीसूची में डाले गये / मुक्त किये गये संवेदकों की सूची विभागीय बेबसाईट पर विभागीय संसूचन हेतु अपलोड करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कतिपय संवेदकों को कालीसूची में डाले जाने / मुक्त किये जाने की सूचना दी गयी है, जो निम्न है :–

क्र० सं०	संवेदक का नाम / निबंधन संख्या	विभाग / निगम का नाम	ज्ञापांक / दिनांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	संवेदक Shiv Shankar Singh, Add:-At-Pahlagarh, Post-Sonaili, Dist-Katihar, Pin-855114 (Reg. No–1230264)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–12838 दिनांक–07.10.2026	ग्रामीण कार्य विभाग का सकारण आदेश ज्ञापांक–6664 दिनांक–29.05.2026 द्वारा अगले 10 (दस) वर्षों के लिए की गयी कालीकृत आदेश में राहत प्रदान करते हुए संबंधित संवेदक के निबंधन संख्या–1230264 को दिनांक–29.05.2026 से 02 (दो) वर्ष के लिए कालीकृत किया गया है।
2	संवेदक M/S Manisha Construction, Vill+Post-Dobhi, Dist-Gaya, Bihar Pin-824220 (Reg. No–1160250)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–12351 दिनांक–25.09.2026	ग्रामीण कार्य विभाग का सकारण आदेश ज्ञापांक–2946 दिनांक–09.03.2026 द्वारा निर्गत कालीकरण आदेश को निरस्त करते हुए संवेदक को कालीसूची से मुक्त किया गया है।

3	संवेदक Madhusudan Sharma, Add:-At-Sonbarsa, Dist-Aurangabad, Bihar, Pin-824115 (Reg. No-2240507) PAN No.-CPRPS5493H	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–13151 दिनांक–14.10.2026	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक–19.12.2007 की कंडिका 11(क) (ix) एवं 11(ख)(ii) के आलोक में संवेदक को 02 (दो) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।

अतः काली सूची में डाले गये एवं निलंबित किये गए संवेदकों को निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाय।

2. कॉलम 4 में अंकित संबंधित विभाग के पत्र का संदर्भ भी लिया जाना आवश्यक होगा।

3. यह सूचना केवल विभागीय संसूचन एवं परिचालन के लिए है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांक–प्र०–7/विविध–04–38/2023– /पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आपके विभाग से संबंधित प्रविष्टि में अशुद्धि परिलक्षित होने पर अवगत कराने की कृपा की जाए।

ह0/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांक–प्र०–7/विविध–04–38/2023– 7662(E) /पटना, दिनांक 02/11/2026

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण)/ कार्यपालक अभियंता, (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को Website पर Upload करने हेतु तथा प्रभारी e-tendering को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0:–यथोक्त।

31/10/26

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

31.10.26

03

(22) अई० ए० नं०-(171+)

(87)

बिहार सरकार,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कालीकृत अपील वाद संख्या:--63 / 2026

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लु०जे०सी० संख्या-11067/2026 (Shiv Shankar Singh Vs. The State of Bihar & Ors.) में दिनांक 28.07.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में।	
आदेश की तिथि * 30.09.2026 06.10.2026	आदेश — अभ्युक्ति

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लु०जे०सी० संख्या-11067/2026 में दिनांक 28.07.2026 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:--

" 3. Petitioner is directed to file an appeal before the competent appellate authority within a period of thirty days from the date of receipt / production of a copy of this order.

4. In the event such an appeal is preferred within the aforesaid period, the appellate authority shall consider and dispose of the same by passing a reasoned and speaking order in accordance with law, after affording due opportunity of hearing to the petitioner as well as after taking into consideration the comparable orders annexed as Annexure P/9 series. The aforesaid exercise shall be completed within a period of six weeks from the date of filing of such appeal.

5. With the aforesaid observations and directions, the present writ application stands disposed of.

6. Pending application(s), if any, shall also stand disposed of."

उपर्युक्त न्यायादेश द्वारा याचिकाकर्ता को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश की प्रति प्राप्त होने या पेश किए जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर सक्षम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर करें।

यदि निर्धारित अवधि के भीतर ऐसी अपील दायर की जाती है, तो अपीलीय अधिकारी याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर देने और *Annexure P/9 series* के रूप में संलग्न सदृश आदेशों पर विचार करने के उपरान्त, विधि के अनुसार तर्कपूर्ण और स्पष्ट आदेश पारित करते हुए अपील का निष्पादन करेंगे। यह प्रक्रिया ऐसी अपील दायर करने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी किये जाने का निदेश दिया गया है।

यह उल्लेखनीय है कि आवेदक वर्तमान अपीलीय सुनवाई में उपस्थित रहे एवं उनके द्वारा नया लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। विशेष रूप से विवादित अनुभव प्रमाण--पत्र की प्रामाणिकता स्थापित करने अथवा संबंधित निर्गतकर्ता कार्यालय से प्राप्त सत्यापन को खंडन करने हेतु कोई नई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई अपितु आवेदक द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण--पत्र के अन्य कार्यों द्वारा मूलवाद अपलोड किये जाने के उपरान्त विभागीय प्रधान करने का

1/2

अनुरोध किया गया।

वर्तमान सुनवाई अपील अभ्यावेदन, मूल विभागीय अभिलेख, संबंधित निविदा दस्तावेज, पूर्व में उद्धृत आदेशों तथा अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्रियों के स्वतंत्र परीक्षण के आधार पर किया जा रहा है।

वर्तमान अपील अभियंता प्रमुख–सह–निबंधन प्राधिकार, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार द्वारा पारित सकारण आदेश–सह–पठित ज्ञापांक–6664 दिनांक–29.05.2026 के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा आवेदक के निबंधन सं०–1230264 को बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की कंडिका 11(क)(ix) सहपठित कंडिका 11(ख)(ii) के अंतर्गत 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत किया गया है।

अभिलेख से परिलक्षित होता है कि भवन निर्माण विभाग के अधीन भागलपुर जिलान्तर्गत सन्हौला प्रखंड में प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय भवन के निर्माण कार्य की निविदा आमंत्रित की गई थी। आवेदक द्वारा निविदा में भाग लेते हुए अपेक्षित दस्तावेज अपलोड/समर्पित किए गए।

तकनीकी बीड के मूल्यांकन के क्रम में पाया गया कि आवेदक द्वारा पेय जल एवं स्वच्छता प्रमंडल, लातेहार द्वारा कथित रूप से निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र (Work Experience Certificate) प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रमाण–पत्र की प्रामाणिकता के सत्यापन हेतु संबंधित निर्गतकर्ता कार्यालय से पत्राचार किया गया। जिस क्रम में कार्यपालक अभियंता, पेय जल एवं स्वच्छता प्रमंडल, लातेहार के पत्रांक 336 दिनांक 17.03.2026 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अनुभव प्रमाण–पत्र जिसे पत्रांक 1664 दिनांक 16.12.2023 पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, लातेहार द्वारा निर्गत दिखाया गया है, वह उक्त प्रमंडल द्वारा कार्यालय से निर्गत नहीं किया गया है।

उक्त प्रतिवेदन के आलोक में तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा निविदाकार शिव शंकर सिंह, सानौली, कटिहार द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण–पत्र को संदेहास्पद मानते हुए उन्हे तकनीकी बीड में असफल घोषित किया गया। तत्पश्चात अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2483 (भ) दिनांक 12.03.2026 द्वारा संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई हेतु ग्रामीण कार्य विभाग को अनुशंसा हस्तांतरित की गयी। आवेदक के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ करते हुए पत्रांक–3587 दिनांक–20.03.2026 एवं पत्रांक–4603 दिनांक–16.04.2026 द्वारा कारण–पृच्छा की गई। विभाग द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने पर आवेदक/संवेदक द्वारा दिनांक 20.04.2026 को स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के द्वारा गलत अनुभव प्रमाण–पत्र अपलोड किये जाने की बात कही गयी है।

उल्लेखनीय है कि सभी प्रकार के कागजात अपलोड करने के लिए निविदाकार/संवेदक स्वयं जिम्मेदार होते है। निविदाकार/संवेदक द्वारा अपने स्पष्टीकरण में स्वयं स्वीकार किया गया है कि निविदा में फर्जी अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया था। फलतः अभियंता प्रमुख–सह–निबंधन प्राधिकार द्वारा ज्ञापांक–6664 दिनांक–29.05.2026 के माध्यम से आवेदक को 10

(दस) वर्षों के लिए कालीकृत किया गया।

उक्त आदेश को आवेदक द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी0डब्लु0जे0सी0 संख्या-11067/2026 के माध्यम से चुनौती दी गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–28.07.2026 को कालीकृत आदेश संबंधी मामले को अपीलीय प्राधिकार के विचारार्थ रिमांड किया गया। वर्तमान आदेश उक्त न्यायादेश के अनुपालन में पारित किया जा रहा है।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वर्तमान पुनः सुनवाई में आवेदक उपस्थित हुए तथा उन्हें अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। तथापि, आवेदक द्वारा ऐसा कोई अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे विवादित अनुभव प्रमाण–पत्र के विरूद्ध प्राप्त प्रतिवेदन का खंडन किया जा सके। वर्तमान अपील में मुख्यतः यह विचारणीय है कि–

(क) क्या विवादित अनुभव प्रमाण–पत्र अप्रमाणिक/जाली पाया जाना अभिलेखीय सामग्री से स्थापित होता है।

(ख) क्या उक्त कृत्य बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के अंतर्गत कालीकरण की कार्रवाई को आकर्षित करता है।

(ग) क्या अन्य मामलों में प्रदान की गई रियायत के आधार पर आवेदक समान रियायत का अधिकारी है।

(घ) क्या वर्तमान मामले में दस वर्षों का कालीकरण प्रमाणित कदाचार की प्रकृति एवं गंभीरता के अनुरूप समानुपातिक है।

अभिलेख से स्थापित है कि आवेदक द्वारा प्रश्नगत अनुभव प्रमाण–पत्र अपलोड किया गया था तथा संबंधित निर्गतकर्ता कार्यालय द्वारा सत्यापन के क्रम में स्पष्ट किया गया कि ऐसा प्रमाण–पत्र उनके कार्यालय से निर्गत नहीं किया गया है। वर्त्तमान सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा यह पक्ष भी लिया गया है कि निविदा से संबंधित दस्तावेज उनके अन्य कर्मी के माध्यम से अपलोड किए गए थे। इस तर्क पर विचार किया गया। निविदा में कौन–सा दस्तावेज प्रस्तुत किया जा रहा है और वह सही एवं प्रामाणिक है अथवा नहीं, इसकी जिम्मेदारी निविदाकार की है। अन्य माध्यम से दस्तावेज अपलोड कराना आवेदक द्वारा अपनी सुविधा के लिए अपनाई गई व्यवस्था थी। मात्र इस आधार पर आवेदक अपने Bid में प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता के उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकते।

फर्जी प्रमाण–पत्र समर्पित करने के कारण निविदा की प्रक्रिया अवैध तथा दोषपूर्ण हो जाती है, जो कि जनहित के कार्यों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की कंडिका 11(क)(ix) जाली/फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने से संबंधित कदाचार को समाहित करती है तथा कंडिका 11(ख)(ii) के अधीन ऐसे कृत्य के लिए कालीकरण की कार्रवाई की जा सकती है।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण

विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2483 (भ) दिनांक 12.03.2026 द्वारा संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई हेतु ग्रामीण कार्य विभाग को अनुशंसा हस्तांतरित की गयी है। आवेदक को दिए गए अवसरों, दस्तावेज की प्रामाणिकता स्थापित करने वाली किसी विश्वसनीय सामग्री के अभाव में तथा उक्त प्रमाण–पत्र की अनिवार्य प्रकृति के संयुक्त परीक्षण से यह पाया जाता है कि आवेदक के विरुद्ध आरोप अभिलेखीय सामग्री से प्रमाणित है और नियमावली के अंतर्गत कालीकरण की कार्रवाई को आकर्षित करता है।

वर्त्तमान सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा पूर्व के सदृश्य मामलों का उल्लेख करते हुए रियायत प्रदान करने का अनुरोध किया गया। उक्त परीक्षण सी0डब्लु0जे0सी0 संख्या–11067/2026 के अंतर्गत पारित आदेश, सी0डब्लु0जे0सी0 संख्या– 5036/2026(अन्य सदृश्य मामला) में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश, तथा Lucknow Kshetriya Gramin Bank & Anr Vs. Rajendra Singh में पारित न्यायादेश के आलोक में किया गया है। Lucknow Kshetriya Gramin Bank & Anr Vs. Rajendra Singh में पारित न्यायादेश में प्रतिपादित सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि आरोप प्रमाणित पाए जाने की स्थिति में दंड की प्रकृति एवं मात्रा का निर्धारण मूलतः सक्षम विभागीय प्राधिकार के अधिकार–क्षेत्र का विषय है। साथ ही, किसी अन्य व्यक्ति को कम दंड दिए जाने के आधार पर parity का दावा मात्र आरोपों की सामान्य समानता के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए संबंधित व्यक्ति एवं कम दंड प्राप्त व्यक्ति का co-delinquent होना तथा दोनों के बीच आरोप की प्रकृति के साथ–साथ subsequent conduct में भी complete parity होना आवश्यक है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय Lucknow Kshetriya Gramin Bank & Anr Vs. Rajendra Singh में पारित न्यायादेश के कंडिका 17 में माननीय न्यायालय द्वारा दंड के तुलना को निम्नवत् स्पष्ट किया गया है:– "It is made clear that such a comparison is permissible only when the other employee(s) who is given lighter punishment was co-delinquent. Such a comparison is not permissible by citing the cases of other employees, as precedents, in all together different departmental enquiries."

वर्तमान मामले में आवेदक तथा पूर्व में उद्धृत अन्य संवेदकों के मामले अलग–अलग निविदाओं एवं स्वतंत्र कार्यवाहियों से संबंधित है। उक्त संवेदक वर्तमान आवेदक के साथ किसी एक संयुक्त कार्यवाही के co-delinquents नहीं हैं। फलतः Lucknow Kshetriya Gramin Bank में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार उन स्वतंत्र मामलों में दिए गए कम दंड अथवा रियायत को वर्तमान मामले में स्वतः बाध्यकारी precedent के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है।

समीक्षा के दौरान यह देखा गया है कि पूर्व के कुछ मामलों में रियायत प्रदान किए जाने के पश्चात फर्जी/गलत दस्तावेज अपलोड किए जाने के मामलों में संबंधित संवेदकों द्वारा यह स्पष्टीकरण दिए जाने की प्रवृत्ति बनी है कि साइबर कैफे अथवा अन्य माध्यम से दस्तावेज गलती से अपलोड हो गया।

4/7

रखना तथा संबंधित व्यक्ति को अपने आचरण में सुधार का अवसर प्रदान करना भी है।

अतः आरोप की गंभीरता, उपलब्ध अभिलेखों, समान प्रकृति के मामलों में दिए गए दण्ड एवं Proportionality के सिद्धांतों तथा न्यायसंगत संतुलन को ध्यान में रखते हुए यह उचित प्रतीत होता है कि मूल दण्ड को पूर्णतः समाप्त करने के स्थान पर उसकी अवधि को युक्तिसंगत सीमा तक कम किया जाए।

फलतः, आवेदक पर पूर्व में अधिरोपित 10 वर्षों की कालावधि के दण्ड को संशोधित करते हुए 2 वर्षों की कालावधि तक सीमित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार संशोधित दण्ड आरोप की प्रकृति के अनुरूप होने के साथ–साथ समानुपातिकता एवं समरूपता के सिद्धांतों के भी अधिक अनुकूल होगा।

समस्त तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों, आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं पूर्व आदेशों, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2483 (ग) दिनांक 12.03.2026 द्वारा संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई हेतु ग्रामीण कार्य विभाग को हस्तांतरित अनुशंसा, आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता तथा माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–28.07.2026 को पारित न्यायादेश में दिए गए निर्देशों के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकलते हैं:–

(क) आवेदक द्वारा निविदा में अपलोड/समर्पित अनुभव प्रमाण–पत्र फर्जी है एवं इसे संबंधित निर्गतकर्त्ता कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं किया गया था। पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद आवेदक द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यता स्थापित करने हेतु कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

(ख) जाली/फर्जी अनुभव प्रमाण–पत्र अपलोड/समर्पित किए जाने का आरोप उपलब्ध अभिलेखिय साक्ष्यों से प्रमाणित है एवं संवेदक द्वारा अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष आरोप स्वीकार किया गया है।

(ग) उक्त कृत्य बिहार संवेदक निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की कंडिका 11(क)(ix) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कदाचार की श्रेणी में आता है तथा कंडिका 11(ख)(ii) के अधीन कालीकरण की कार्रवाई को आकर्षित करता है।

(घ) फर्जी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना निविदा प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं वैधानिकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है तथा इसके फलस्वरूप जनहित से संबंधित कार्यों के समुचित निष्पादन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

(ङ) प्रमाणित आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता को देखते हुए 10 वर्षों के लिए दण्डित किये गये कालीकृत अवधि को समानुपातिक नहीं पाया जाता है।

वर्णित तथ्यों एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त याचिकाकर्त्ता/संवेदक Shiv Shankar, (Reg. No. 1230264) से प्राप्त अपील अभ्यावेदन पर समेकित विचार करते हुए विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक 6664 दिनांक 29.05.2026 द्वारा अगले 10 (दस) वर्षों के लिए की गयी कालीकृत (Blacklist) आदेश में राहत प्रदान करते हुए संबंधित संवेदक के निबंधन

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विगत लगभग डेढ़ वर्ष में अपीलीय प्राधिकार के समक्ष कालीकरण (Blacklisting) से संबंधित लगभग 49 मामले सुनवाई हेतु आए, जिनमें से 46 मामले जाली/फर्जी दस्तावेज से संबंधित थे। यह संख्या दर्शाती है कि निविदा प्रक्रिया में गलत अथवा अप्रामाणिक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के मामले गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे मामलों में अत्यधिक उदार दृष्टिकोण अपनाए जाने से निविदा प्रक्रिया में आवश्यक अनुशासन, पारदर्शिता एवं दस्तावेजों की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।

इन 46 मामलों में से 31 मामलों में यह पक्ष लिया गया कि गलत दस्तावेज Cyber Cafe कर्मचारी, ऑपरेटर अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपलोड कर दिया गया था। इन 31 मामलों में भी अपीलीय प्राधिकार द्वारा केवल इस आधार पर समान रूप से राहत नहीं दी गई। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार 14 मामलों में दंड कम किया गया, जबकि 17 मामलों में 02 वर्ष कालीकरण के मूल दंड को यथावत रखते हुए अपील निरस्त की गई। अर्थात ऐसे मामलों में राहत दिए जाने की अपेक्षा दंड बरकरार रखने वाले मामलों की संख्या अधिक रही है।

अतः पूर्व मामलों के आँकड़ों से भी यह निष्कर्ष नहीं निकलता हैं कि Cyber Cafe अथवा अन्य व्यक्ति का आधार लेने वाले संवेदकों को सामान्यतः राहत दी गई है। इसके विपरीत, ऐसे मामलों जिनमें अपील निरस्त की गई है उनकी संख्या अधिक है। वर्तमान मामले की गंभीरता एवं प्रकृति को देखते हुए पूर्व मामलों के आधार पर दंड मुक्त करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है।

जहाँ अन्य निविदाकार निर्धारित योग्यता को वास्तविक एवं विधिसम्मत दस्तावेजों से स्थापित करते हैं, वहीं अप्रामाणित अनुभव प्रमाण–पत्र के आधार पर पात्रता स्थापित करने का प्रयास अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने की क्षमता रखता है। इससे न केवल अन्य पात्र निविदाकारों के हित प्रभावित हो सकते हैं, बल्कि सार्वजनिक निविदा प्रक्रिया की शुचिता, पारदर्शिता, निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धात्मक समानता एवं संस्थागत विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है।

अग्रेत्तर समीक्षा के क्रम में यह तथ्य सामने आता है कि समान अथवा तुलनीय प्रकृति के आरोपों वाले मामलों में दण्ड की अवधि अपेक्षाकृत कम रखी गई है। अतः वर्तमान मामले में दण्ड की मात्रा निर्धारित करते समय समानुपातिकता (Principle of Proportionality) के साथ–साथ समान परिस्थितियों में दण्ड की समरूपता के सिद्धांत पर विचार किया जाना आवश्यक है। यद्यपि प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर किया जाना है, तथापि समान प्रकृति के मामलों में दण्ड की मात्रा में अत्यधिक असमानता का भी युक्तिसंगत आधार होना अपेक्षित है।

अभिलेखों के समग्र परीक्षण से यह स्पष्ट है कि आवेदक के विरुद्ध आरोप की प्रकृति को देखते हुए दण्ड दिया जाना आवश्यक है, किंतु 10 वर्षों की अवधि तक दण्ड का प्रभाव जारी रखना, मामले की समग्र परिस्थितियों तथा तुलनीय मामलों में दिए गए दण्ड के परिप्रेक्ष्य में, अपेक्षाकृत कठोर एवं असमानुपातिक प्रतीत होता है। दण्ड का उद्देश्य संवेदक को अनुशासन बनाए

(Reg. No. 1230264) को दिनांक 29.05.2026 से 02 (दो) वर्ष के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

इस आदेश के साथ वर्तमान अपीलीय कार्यवाही निष्पादित की जाती है।

आदेश की प्रति आवेदक तथा संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराई जाए।

6/K/26
(अभय कुमार सिंह)
सचिव

6/K/26
(अभय कुमार सिंह)
सचिव

7/7

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–06–20/2026 12838 /पटना, दिनांक– 7.10.26

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/10/26
अवर सचिव,
प्रभारी प्रशाखा–14
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–06–20/2026 12838 /पटना, दिनांक– 7.10.26

प्रतिलिपि– सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/10/26
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक– 14/अ0प्र0–06–20/2026 12838 /पटना, दिनांक– 7.10.26

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

07/10/26
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–06–20/2026 12838 /पटना, दिनांक– 7.10.26

प्रतिलिपि– संवेदक Shiv Shankar Singh (Regd. No.-1230264), Add:- At Pahlagarh, Post-Sonaili, Dist-Katihar, Pincode- 855114 को सूचनार्थ प्रेषित।

07/10/26
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक– 14/अ0प्र0–06–20/2026 12838 /पटना, दिनांक– 7.10.26

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/10/26
सरकार के अवर सचिव

1990
29 SEP 2026

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संवेदक M/S Manisha construction(Regd. No-1160250), Vill+Post-Dobhi, Dist-Gaya, Pin-824220 को विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 2946 दिनांक 09.03.2026 द्वारा अगले 03 (तीन) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने के विरूद्ध दिनांक 30.03.2026 को समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

आदेश

25/09/2026

संवेदक M/S Manisha construction की ओर से राजेश कुमार एवं विभाग की ओर से कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा उपस्थित।

कार्य प्रमंडल, नवादा के अधीन पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत Construction of HL Bridge Jamui Paharpur HL Bridge over Nati River at PWD Jamui Paharpur Road(Package No-BR-25R-659) में SQM द्वारा दिनांक 24.06.2022 एवं दिनांक 27.12.2025 को लगाए गये ATR का निराकरण नहीं कराने संबंधी आरोपों के आलोक में बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के तहत संवेदक M/S Manisha construction के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 2946 दिनांक 09.03.2026 द्वारा अगले 03 (तीन) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किया गया है।

उक्त कालीकरण आदेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा दिनांक 30.03.2026 को अपील अभ्यावेदन समर्पित करते हुए बताया गया है कि उनके द्वारा प्रश्नगत पुल में SQM द्वारा लगाए गये उक्त दोनों ATR का निराकरण करा दिया गया है।

कार्यपालक अभियंता द्वारा उपस्थित होकर ATR के संबंध में स्थिति स्पष्ट किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि दोनों ATR का निराकरण संवेदक द्वारा करा दिया गया है, जिसे राज्य गुणवत्ता समन्वयक, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 447 दिनांक 07.08.2023 एवं पत्रांक 364 दिनांक 08.07.2026 के द्वारा Regrade किया जा चुका है। वर्तमान में कालीकरण आदेश में उल्लेखित दोनों ATR विभाग द्वारा Regrade हो जाने के पश्चात कालीकरण का कोई औचित्य नहीं है।

वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 2946 दिनांक 09.03.2026 द्वारा निर्गत कालीकरण आदेश को निरस्त करते हुए संवेदक M/S Manisha construction(Regd. No-1160250) को कालीसूची से मुक्त किया जाता है।

तद्नुसार वाद निष्पादित।

25/9/26

(अभय कुमार सिंह)
सचिव

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–261 / 2025(अंश) 12351 /पटना, दिनांक– 25.9.26

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधान विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / उर्जा विभाग / कृषि विभाग, बिहार, पटना / पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/9/26

(गौतम भास्कर)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–261 / 2025(अंश) 12351 /पटना, दिनांक– 25.9.26

प्रतिलिपि– सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी अधीक्षण अभियता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/9/26

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–261 / 2025(अंश) 12351 /पटना, दिनांक–25.9.26

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

25/9/26

सरकार के अवर सचिव

निबंधित

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–261 / 2025(अंश) 12351 /पटना, दिनांक– 25.9.26

प्रतिलिपि– संवेदक M/S Manisha Construction (Reg. No. 1160250), Add:- Vill+Post- Dobhi, Dist-Gaya, Bihar- Pincode: 824220 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/9/26

सरकार के अवर सचिव

Website

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–261 / 2025(अंश) 12351 /पटना, दिनांक– 25.9.26

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/9/26

सरकार के अवर सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या–14/अ0प्र0–14–267/2026 13151 /पटना, दिनांक– 14.10.26

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 6624 (भ0) अनु0 दिनांक 17.07.2026 द्वारा जहानाबाद जिलान्तर्गत मखदुमपुर प्रखंड के पश्चिमी सरेन पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य की प्रकाशित निविदा में फर्जी/जाली अनुभव प्रमाण–पत्र कागजात अपलोड किये जाने के कारण संवेदक Madhusudan Sharma (Registration No. 2240507) Add:- At - Sonbarsa Dist-Aurangabad Bihar Pincode: 824115 के विरूद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई किये जाने हेतु अनुशंसा की गयी है।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 11571 अनु0 दिनांक 09.09.2026 द्वारा संवेदक Madhusudan Sharma (Registration No. 2240507) को स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

संवेदक द्वारा अपने स्पष्टीकरण में प्रतिवेदित किया गया है कि कम्प्यूटर ऑपरेटर के द्वारा भूलवश उक्त निविदा में फर्जी/जाली अनुभव प्रमाण–पत्र/कागजात अपलोड किया गया है।

सभी प्रकार के कागजात अपलोड करने के लिए संवेदक ही जिम्मेदार होते हैं। इस प्रकार संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (ix) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक Madhusudan Sharma (Registration No. 2240507) Add:- At - Sonbarsa Dist-Aurangabad Bihar Pincode: 824115 के निबंधन संख्या:–2240507, PAN No. CPRPS5493H को 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

13/10/26

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

निबंधित

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–267/2026 13151 /पटना, दिनांक– 14.10.26

प्रतिलिपि– संवेदक Madhusudan Sharma (Registration No. 2240507) Add:- At - Sonbarsa Dist-Aurangabad Bihar Pincode: 824115 को सूचनार्थ प्रेषित।

13/10/26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–267/2026 13151 /पटना, दिनांक– 14.10.26

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियता/सभी कार्यपालक अभियंता/ सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/10/26

अभियंता प्रमुख

P.T.O

(1709)

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–267/2026 13151 /पटना, दिनांक– 14.10.26

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–267/2026 13151 /पटना, दिनांक– 14.10.26

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

Website

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–267/2026 13151 /पटना, दिनांक– 14.10.26

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।

अभियंता प्रमुख